




उत्तर प्रदेश पुलिस - यातायात निदेशालय  
नोटिस  
(अन्तर्गत धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम 1988)



सेवा में,  
R\*M A\*\*\*H Y\*\*\*V



वाहन संख्या: **HR38AA8821**  
वाहन अवधि: .....  
वाहन श्रेणी: **Motor Cab(LPV)**

इंजन संख्या: .....  
चेसिस संख्या: .....  
वाहन स्वामी का नाम: **R\*M A\*\*\*H Y\*\*\*V**

वाहन पंजीयन की .....  
वैधता अवधि: .....  
वाहन स्वामी का मोबाइल: **\*\*\*\*\*146**

वाहन स्वामी के पिता का नाम: **P\*\*\*\*\*R Y\*\*\*V**  
वाहन स्वामी का पता: **S\*\*\*A V\*\*\*R P\*\*\*\*3 S\*\*\*\*\* , N\*\*R  
S\*\*\*\*\*R P\*\*\*\*C S\*\*\*\*L S\*\*\*\*\* , ,  
F\*\*\*\*\*3**

**यातायात नियमों के उल्लंघन का विवरण**

चालान संख्या: **UP175223240817110831**

तिथि / समय	स्थान	उल्लंघन का विवरण	शमन शुल्क (रु.)
17-08-2024 11:08:31	Khora Colony, Mankanpur Colony, Sector 62A, Noida, Uttar Pradesh 201010, India	1: Without registration or suspended or cancelled registration Certificate driven vehicle ( MV act 1988 S 39 and 56 R/W S 192 )	5000/-

उपलब्ध अभिलेखों में उक्त वाहन का स्वामित्व आपको प्रदर्शित है। अतः एव इस नोटिस के माध्यम से वाहन द्वारा किये गए यातायात नियमों के उल्लंघन का विवरण मय साक्ष्य इस आशय से प्रेषित है कि यातायात नियमों के उल्लंघन सम्बंधित आरोपों की स्वीकारोक्ति की दशा में निर्धारित शमन प्रक्रिया का अनुसरण कर 3 दिन के अन्दर शमन कराये। अन्यथा प्रकरण सक्षम न्यायालय के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

शमन शुल्क का भुगतान आप इन माध्यमों द्वारा कर सकते हैं -

1 ऑनलाइन: <https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan>

2 स्थानीय भुगतान केन्द्र: DCP/ACP Traffic Police, Ghaziabad

सौजन्य से,  
प्रभारी, यातायात प्रवर्तन केन्द्र  
जिला :Ghaziabad



सेवा में,  
R\*M A\*\*\*H Y\*\*\*V

### ट्रेफिक नियमों के उल्लंघन पे सिर्फ जुर्माना ही नहीं आपको अपनी जान की कीमत भी चुकानी पड सकती है।

पीछे के पृष्ठ पर दर्शाये गये आपके वाहन के छायाचित्र, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की किसी धारा-धाराओं का उल्लंघन करते हुए लिए गये हैं। जैसे सिग्नल तोड़ना, अविवेकी रूप से गाडी चलाना, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाना, गाडी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना या उन 32 उल्लघनो में से कोई जो कि अधिनियम में सूचीबद्ध है। ये नोटिस आपको एम.वी.ए., 1988, धारा 133 (मोटरयान के स्वामी का किसी राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पुलिस ऑफिसर द्वारा मांगें जाने पर जानकारी देने का कर्तव्य) के अन्तर्गत भेजा जा रहा है। इस नोटिस के अनुसार वाहन स्वामी होने के नाते नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर आपको, उक्त घटनाक्रम के समय वाहन चला रहे व्यक्ति (चालक अथवा कंडक्टर) का नाम, पता व ड्राईविंग लाइसेंस नंबर, और उससे सम्बंधित कोई भी जानकारी जो आपको ज्ञात हो, हमें बताना अनिवार्य है। जानकारी प्रस्तुत करने में असफल होने पर एम.वी.ए., 1988, धारा 187 (धारा 133 एम.वी.ए., 1988, का अनुपालन न करने पर दण्ड) के अन्तर्गत आपका 500 रु. जुर्माना अथवा 3 महीने तक की जेल या दोनों हो सकते हैं। इसी धारा के अन्तर्गत भविष्य में दोबारा जानकारी न दे पाने की स्थिति में आपको 6 महीने तक की जेल या 1000 रु. तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये चालान सिर्फ आपको आपके यातायात उल्लंघन के बारे में सूचित करने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य आपको ये समझाना है कि यातायात नियमों का पालन न करने से आप न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं। उ. प्र. ट्रेफिक पुलिस द्वारा एकत्रित और विश्लेषण किया गया सन 2009 से 2018 के बीच का डाटा एक बड़ी गंभीर और चिंताजनक वास्तविकता को दर्शाता है। और हम सड़क सुरक्षा के संगरक्षक होने के नाते आपके सक्रिय सहयोग से इसे निश्चित रूप से बदलना चाहेंगे।

उ. प्र. की 45% दुर्घटनाएं जानलेवा होती है।
सिर्फ वर्ष 2019 में उ. प्र. में 22655 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवायी।
निर्धारित गति सीमा से ज्यादा तेज गाडी चलाना उ. प्र. में सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है और दुर्घटनाएं ज्यादातर अच्छी सतह की फ्लैट सड़कों और सीधे राजमार्गों पर होती हैं।
अधिकतर दुर्घटनाएं और मौतें मई, जून और दिसम्बर के महीनों में सुबह-10-बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे से - 6 बजे के बीच के अच्छे और शुष्क मौसम में हुई है।
ऐसा पाया गया है कि उ. प्र. की सड़कों पर मोटर सार्हकिलों/ स्कूटरों से ट्रकों से भी ज्यादा दुर्घटनाएं और मौतें होती है।

हम, उ. प्र. यातायात पुलिस, जानते हैं कि आपका जीवन अमूल्य है और आप से हर समय, हर बार ट्रेफिक नियमों का पालन करने का आग्रह करते हैं चाहे आप कोई गाडी चला रहे हो या पैदल हो। क्योंकि सड़क पर एक पल की लापरवाही, जल्दीबाजी या अविवेकी व्यवहार आपकी यात्रा को आपकी अंतिम यात्रा में बदल सकता है।

**जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी हर पहल में भागीदार बनिए और जुडिए हमारे फेसबुक पेज से.**



Copyright © 2018 National Informatics Centre

